भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2298

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव

2298. श्री छोटेलालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की अनेक ग्राम पंचायतें/ब्लॉक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं और इन क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता और चिकित्सकों का अभाव है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधा-केंद्र स्थापित करे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधन-सीमा के भीतर, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे नए स्वास्थ्य सुविधा-केंद्र स्थापित करने सहित, उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र लोकसभा क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में एक स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें जिला संयुक्त अस्पताल और एमसीएच विंग शामिल हैं। यहां कुल 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनमें 45 डॉक्टर कार्यरत हैं। इसके अलावा, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यशील हैं जिनमें 46 डॉक्टर कार्यरत हैं। सोनभद्र जिले में भी 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 46 डॉक्टर उपलब्ध हैं। दोनों लोकसभा क्षेत्रों के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं।

(ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, जन स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों में अवसंरचना विकास, साथ ही एचआरएच का प्रबंधन और तैनाती, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) का नियोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार निर्धारित मानदंडों और अपनी आवश्यकता के अनुसार नए सीएचसी और पीएचसी का प्रस्ताव कर सकती है। भारत सरकार जांच के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधनों के दायरे में उनके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (पीआईपी), पीएम-एबीएचआईएम, 15वें वित्त आयोग के तहत संस्वीकृति दे सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लेवल-1 डॉक्टरों के स्वीकृत 3620 पदों की तुलना में वर्तमान में 5324 डॉक्टर लेवल-1 पर तैनात हैं, जिनमें से 1704 डॉक्टर अतिरिक्त हैं। इसके अलावा, वर्ष 2022 में 231 (लेवल-II) स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और वर्ष 2024 में 343 स्पेशलिटी /सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी है। सामान्य/विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी समय-समय पर पुन:तैनाती, वॉक-इन इंटरव्यू, एनएचएम संविदा/रिवर्स बिडिंग आदि के माध्यम से की जाती है।

******